# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6831/2005

सुख राम मीना

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री प्रकाश रायका

श्री मुकेश राजपुरोहित

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री ललित पारीक

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**आदेश (मौखिक)**

**29/04/2024**

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 09.11.2005 (अनुलग्नक 6) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया था। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 10.11.2005 (अनुलग्नक 7) के अनुवर्ती आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को शारीरिक शिक्षक के पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

2. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार है, को शुरू में 31.02.1993 के कार्यालय आदेश के तहत

शारीरिक शिक्षक, ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था।

2.1 हालांकि, 12 साल की सेवा के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 17.08.2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खेल और युवा सेवाएं, पुणे, महाराष्ट्र के निदेशक द्वारा जारी उसका खेल प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोटिस का उत्तर दिनांक 20.09.2005 को दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके प्रमाण-पत्र के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति की गई।

2.2 यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1992 में शारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था। इसे उसने प्रतिवादियों के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा वर्ष 1996 में इसका सत्यापन किया गया था। अब नियुक्ति के 12 वर्ष पश्चात यह अजीब रुख अपनाया गया है कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए था।

2.3 इसके बावजूद, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 09.11.2005 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया। इसके पश्चात खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.11.2005 का आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को शारीरिक शिक्षक के पद से बर्खास्त कर दिया गया।

2.4 अतः यह याचिका उपरोक्त दो आदेशों का विरोध करती है।

3. उत्तर में दिया गया बचाव सरल और सीधा है, क्योंकि आरोपित आदेश पारित करने का एकमात्र आधार यह है कि याचिकाकर्ता का शारीरिक शिक्षा का प्रमाण पत्र पुणे से प्राप्त किया गया है, और इसलिए, उसे अयोग्य पाया गया।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. विवाद बहुत ही संकीर्ण दायरे में है, अर्थात क्या याचिकाकर्ता खेल और युवा सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे से अपनी शैक्षणिक योग्यता या शारीरिक शिक्षा का लाभ लेने का हकदार है, जो महाराष्ट्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त संस्थान है, लेकिन याचिकाकर्ता ने राजस्थान में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यह लाभ नहीं लिया है?

6. उत्तर, हालांकि केवल सार में है, विज्ञापन के मद्देनजर नकारात्मक प्रतीत होता है।

7. हालांकि, प्रश्न का सार नकारात्मक उत्तर होने के बावजूद, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों और नीचे दिए गए कारणों से, याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के कारण केवल संयोगवश ही याचिकाकर्ता पिछले लगभग 20 वर्षों से सेवा में बना हुआ है और इस लंबे अंतराल के दौरान उसने बेदाग सेवा रिकॉर्ड अर्जित किया है तथा उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम दृष्टया विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता शर्त का उल्लंघन प्रतीत होता है, लेकिन याचिकाकर्ता के चयन/नियुक्ति के समय अपने आचरण से उक्त शर्त को नजरअंदाज करने में उत्तरदाताओं की ही गलती है। उस संदर्भ से पता चलता है कि मामला उल्टा है और विभाग अब अपनी गलती का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने एक बार याचिकाकर्ता के उपरोक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया था और बाद में यह कहते हुए पलट गया कि अनजाने में गलती हो गई थी।

9. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यदि कोई भूल हुई है तो वह याचिकाकर्ता की वजह से नहीं हुई है और इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के कारण यह किसी भी मामले में पूरी तरह से महत्वहीन हो जाती है, जिसके कारण याचिकाकर्ता आज भी सेवा में है।

10. इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह बात उभर कर आती है कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की गलतबयानी या जानकारी छिपाने के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया है।

11. नियुक्ति की मांग करते समय, उसने अपनी योग्यता के दस्तावेज संलग्न किए थे, जिसमें पुणे से संबंधित प्रमाण पत्र भी शामिल था और यह विभाग/चयन एजेंसी के ज्ञान में था और इसलिए, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के आधार पर अन्यथा पात्र होने का लाभ क्यों न दिया जाए, सिवाय इसके कि उसने राजस्थान से शिक्षा प्राप्त नहीं की है।

12. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, प्रतिवादियों ने अपने आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उसकी शैक्षणिक योग्यता को राजस्थान से न होने के कारण माफ कर दिया है।

इसके अलावा, मैंने पहले ही आकस्मिक परिस्थितियों के बारे में बताया है और इस विशिष्ट आधार पर याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने का हकदार है।

13. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 09.11.2005 (अनुलग्नक 6) के विवादित आदेश और दिनांक 10.11.2005 (अनुलग्नक 7) के परिणामी आदेश को रद्द किया जाता है और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

**(**अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।